

15-09-25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
प्रार्थी के निवेदन पर मूख बाद इसी स्तर पर
खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना का
औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तृतीय तकमील
होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में
दुनाया गया।



(सुनील कुमार चोहान)
R.A.S.